


- : : आदेश : : -

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 1675 दिनांक 26.04.2021 के बंटवारा त्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल के खसरा नं. 84 रकबा 5.8679 हैक्टैयर में से 2.9339 हैक्टैयर दक्षिणी भाग, खसरा नं. 122 रकबा 6.2807 हैक्टैयर में से 3.1404 हैक्टैयर उत्तरी, खसरा नं. 125 रकबा 2.7195 में से 1.3597 हैक्टैयर उत्तरी भाग माफिक नजरी नक्शे अनुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी देवाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल के खसरा नं. 84 रकबा 5.8679 हैक्टैयर में से 2.9340 हैक्टैयर उत्तरी भाग, खसरा नं. 122 रकबा 6.2807 हैक्टैयर में से 3.1403 हैक्टैयर दक्षिणी, खसरा नं. 125 रकबा 2.7195 में से 1.3598 हैक्टैयर दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शे अनुसार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 किस्तुरराम के हक बंट व खातेदारी में मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल के खसरा नं. 102/186 रकबा 1.7806 हैक्टैयर पूरा हिस्सा घोषित किया जाता है।
4. तहसीलदार जायल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 क्रमशः भंवरी, मंगनी देवी, सम्तीबाई के द्वारा उक्त खेतियों में से भूमि अन्तरण के लिए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पत्रांक : 1675 दिनांक 26.04.2021 निर्णय/आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29/6/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।


29/6/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल